राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम</th><th>प्रत्यर्थीगण का नाम</th><th>प्रस्तुतिकरण की दिनांक</th><th>अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>831/2020
ओम प्रकाश</td><td>1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. आयुक्त/निदेशक संस्कृत शिक्षा, तृतीय मंजिल, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर (राज.)।
3. संभागीय शिक्षा अधिकारी (संस्कृत), E-179, रमेश मार्ग, जयपुर (राज.)।</td><td>19.08.2020</td><td rowspan="14">श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक एवं
श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>1200/2020
सीताराम शर्मा</td><td rowspan="7">1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. आयुक्त/निदेशक, संस्कृत शिक्षा, तृतीय मंजिल, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर (राज.)।
3. संभागीय शिक्षा अधिकारी (संस्कृत), E-179, रमेश मार्ग, जयपुर (राज.)।</td><td rowspan="5">13.10.2020</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>1201/2020
श्रीमती गायत्री व्यास</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>1202/2020
संगीता रानी</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>1203/2020
जगदीश प्रसाद वर्मा</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>1204/2020
पूरणमल वर्मा</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>1228/2020
हरीराम</td><td>14.10.2020</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>10000/2020
रामस्वरूप</td><td>19.08.2020</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>2214/2021
पदमा जैन</td><td rowspan="4">1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, तृतीय मंजिल, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर (राज.)।</td><td rowspan="3">05.07.2021</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>2215/2021
भभूताराम मेघवाल</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>2216/2021
नन्दलाल डांगी</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>3787/2021
विजय कुमार पालीवाल</td><td>14.09.2021</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>6211/2022
रामजी लाल मीना</td><td rowspan="2">1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, तृतीय मंजिल, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर (राज.)।
3. संभागीय शिक्षा अधिकारी (संस्कृत), E-179, रमेश मार्ग, जयपुर (राज.)।</td><td>02.12.2022</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>1548/2024
मुरारी लाल शर्मा</td><td>27.03.2024</td></tr>
</table>

आदेश की दिनांक : 07.10.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः उक्त समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1200/2020 सीताराम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन

सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय संस्कृत के पद पर वेतन श्रृंखला 1200–20–1560–40–2000–50–2050 (स्केल नम्बर 9) आदेश दिनांक 16.02.1991 के द्वारा दिया गया। अपीलार्थी के समान कुछ कार्मिकों ने अपील संख्या 02/2009, 04/2009 इत्यादि अधिकरण के समक्ष अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति के संबंध में अपील प्रस्तुत की और जिसे दिनांक 08.11.2013 के द्वारा विभाग को पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने हेतु आदेश दिया गया, जो अनुलग्नक–3 से प्रकट होता है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा चुनौती देते हुये रिट संख्या 7274/2014, 7593/2014 जिसके द्वारा अधिकरण के आदेश को आदेश दिनांक 25.08.2015 के द्वारा अपास्त कर दिया गया और कुछ कार्मिकों द्वारा एकलपीठ के आदेश दिनांक 25.08.2015 को चुनौती देते हुये स्पेशल अपील संख्या 986/2015, 987/2015 खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे एकलपीठ के आदेश को अपास्त किया गया और अधिकरण के आदेश को बरकरार/सही माना गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने संबंधित कार्मिकों अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 27.02.2020 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की, जिनमें दामोदर प्रसाद शर्मा, सूरजमल शर्मा, सूरजमल जाट, कैलाश चंद शर्मा, सांवरमल इत्यादि जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं और उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जिस

तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 02/2009, 09/2009 दिनांक 08.11.2013 को निर्णय पारित कर बी.ए. संस्कृत अपीलार्थी योग्यताधारी शिक्षकों का वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर पदोन्नति करने के आदेश प्रदान किये, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 7274/2014 में आदेश दिनांक 25.08.2015 के द्वारा अधिकरण के आदेश को अपास्त कर दिया गया। परंतु खंडपीठ में स्पेशल अपील संख्या 986/2015 व अन्य 7 अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018 की अनुपालना में याचिकाकर्ताओं को योग्यता व पात्रता के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर दिनांक 27.02.2020 को पदोन्नति की गई। परंतु पारित आदेशों में याचिकाकर्ता अपीलार्थी नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय संस्कृत के पद पर वेतन श्रृंखला 1200–20–1560–40–2000–50–2050 (स्केल नम्बर 9) आदेश दिनांक 16.02.1991 के द्वारा दिया गया। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर पदोन्नत किये जाने तथा अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी के समान कुछ कार्मिकों ने अपील संख्या 02/2009, 04/2009 इत्यादि अधिकरण के समक्ष अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति के संबंध में अपील प्रस्तुत की और जिसे दिनांक 08.11.2013 के द्वारा विभाग को पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने हेतु आदेश दिया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा चुनौती देते हुये रिट संख्या 7274/2014, 7593/2014 प्रस्तुत की गई। जिसके द्वारा अधिकरण के आदेश को पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 के द्वारा अपास्त कर दिया गया, परंतु कुछ कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के एकलपीठ के आदेश दिनांक 25.08.2015 को माननीय न्यायालय की खण्डपीठ,

जयपुर ने डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 986/2015 भुवनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 26.10.2018 के द्वारा एकलपीठ के आदेश को खारिज करते हुए अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और प्रार्थीगण को उक्त पद पर पदोन्नति हेतु आदेश दिया। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त निर्णय के आधार पर उक्त पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित समस्त अपीलें अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अधिकरण के आदेश दिनांक 21.09.2012 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 26.10.2018 के प्रकाश में जिस तिथि से अपीलार्थीगण से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथि से अपीलार्थीगण को भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि नियमानुसार दिए जावें।

मूल आदेश अपील संख्या 1200/2020 सीताराम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य